न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्रीमति सुनिता यादव आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 61/2020/वाद पत्र	तारीख दायर 25.09.2020	तारीख फैसला 30.11.2022

उनवान

श्रीमति दुर्गादेवी पत्नी दुर्गालाल दरोगा निवासी तहनाल तहसील शाहपुरा – वादिया

बनाम

1. श्री रामस्वरूप पिता उदा नायक निवासी गोपालपुरा तहनाल तहसील शाहपुरा
2. घीसू पिता सोहन नायक निवासी गोपालपुरा तहनाल तहसील शाहपुरा
3. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहपुरा तहसील शाहपुरा
4. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : **बाबत कब्जेयाबी आराजी अन्तर्गत धारा 183 राज0का0अधिनियम**

उपस्थितः– श्री योगेन्द्र सिंह भाटी – अधिवक्ता वादिया

निर्णय

उनवानी मामले में वाद पत्र बाबत कब्जेयाबी आराजी न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है – वादिया के खातेदारी अधिकार की आराजियात ग्राम तहनाल पटवार हल्का तहनाल तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसके खेवट सं0 नई 318 व पुरानी 304 में कुल किता 09 रकबा 1.22 है0 है। वादिया की आराजियात के विपक्षीगण नं. 01 व 02 पड़ौसियान आये दिन वादिया की आराजियात की मेर को हर वर्ष धीरे धीरे करके अपनी जमीन में मिलाते रहे। इस तथ्या की जानकारी वादिया को इस कारण नहीं हुई कि पड़ौसी हर वर्ष थोड़ी थोड़ी करके जमीन अपनी आराजियात में मिलाते रहे। वादिया के खातेदारी अधिकार की आराजियात नं. 1522 रकबा 0.19 है0, व आराजी नं. 1521 रकबा 0.04 है0 कुल किता 02 रकबा 0.23 है0 पर प्रतिवादीगण नं0 01 व 02 ने गतवर्ष जबरन लाठी के बल पर कब्जा कर लिया। वादिया ने प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 को इस हेतु मना किया जो प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 मारने–पीटने पर उतारू हुए। वादिया द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने की कार्यवाही की जिसका निर्णय अदालत द्वारा 29.05.2019 को किया। जिसके मुकदमा नं0 37/2019 है। उक्त निर्णय की पालना में भूमि अभिलेख निरीक्षक तहनाल द्वारा दिनांक 11.06.2020 को मौके पर जाकर मौतबीर व्यक्तियों के सामने पत्थरगढी की गई। उक्त पत्थरगढी का पर्चा मौका सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया। उक्त पर्चा मौका में वादिया की आराजियात नं. 1522 रकबा 0.19 है0, आ.नं. 1521 रकबा 0.04 है0 कुल किता 02 रकबा 0.23 है0 पर प्रतिवादीगण नं. 01 का 0.09 है0 व प्रतिवादीगण नं. 02 का 0.14 है0 अवैद्यानिक कब्जा निकला। उक्त आराजियात का कब्जा सक्षम न्यायालय से प्राप्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस कारण वादी उक्त दोनों आराजियात का कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण सं. 3 के यहां आराजियात रहन होने से एवं

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिवादीगण नं. 04 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादिया के पक्ष में व प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 के खिलाफ कब्जेयाबी आराजियात की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद पत्र के पैरा नं. 04 में वर्णित आराजियात नं. 1522 रकबा 0.19 है0 व आराजी नं. 1521 रकबा 0.04 है. कुल किता 02 रकबा 0.23 है0 पर कब्जा प्रतिवादीगण नं. 01 द्वारा 0.09 है0 पर एवं प्रतिवादीगण नं. 02 द्वारा 0.14 है0 पर अवैधानिक तरीके से अवैधानिक कृत्य किया है, इस अवैधानिक कब्जे से प्रतिवादीगण नं0 01 व 02 को बेदखल करते हुए दोनों पूर्ण आराजियात का कब्जा वादिया को दिलाये जाने का आदेश बक्षावें। जिसकी पालना प्रतिवादीगण नं0 04 से कराये जाने का आदेश बक्षावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 17.03.2021 को प्रतिवादी सं0 03 की ओर से ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 28.07.2021 को रेकार्ड पर लिया गया। दिनांक 03.08.2021 को प्रतिवादीगण 01 व 02 के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 25.08.2021 को अभिभाषक वादिया द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण वास्ते अंतिम बहस के नियत किया गया। दिनांक 30.11.2022 को प्रतिवादी सं0 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही गयी एवं एकरफा बहस अभिभाषक वादिया की सुनी गयी। अभिभाषक वादिया ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व दरजावेजात एवं वाद पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजात तथा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श 1 ग्राम तहनाल पटवार हल्का तहनाल की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 318 में दर्ज आराजी नम्बर 1521 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 1522 रकबा 0.19 है0 वादिया के खाते में दर्ज रेकार्ड होकर वादिया खातेदार काश्तकार है। प्रदर्श 2 भू0 अभिलेख तहनाल द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा पत्थरगढी दिनांक 11.06.2020 अनुसार अराजी नम्बर 1522 में 0.09 है0 पर रामस्वरूप पिता उदा नायक **(प्रतिवादी सं0 01)** का कब्जा एवं आराजी नम्बर 1522 में 0.10 है0 तथा आराजी नम्बर 1521 में 0.04 है0 कुल 0.14 है0 पर घीसू पिता सोहन नायक **(प्रतिवादी सं0 02)** का कब्जा होना बताया गया है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से वाद पत्र की पुष्टि होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादिया स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

—:: आदेश ::—

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर वाके तहनाल पटवार हल्का तहनाल की आराजी नम्बर 1521 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 1522 रकबा 0.19 है0 का पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 से कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा(भीलवाडा)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्रीमति सुनिता यादव, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

श्रीमति दुर्गादेवी पत्नी दुर्गालाल दरोगा निवासी तहनाल तहसील शाहपुरा

– वादिया

बनाम

1. श्री रामस्वरूप पिता उदा नायक निवासी गोपालपुरा तहनाल तहसील शाहपुरा
2. घीसू पिता सोहन नायक निवासी गोपालपुरा तहनाल तहसील शाहपुरा
3. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहपुरा तहसील शाहपुरा
4. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत कब्जेयाबी आराजी अन्तर्गत धारा 183 राज0का0अधिनियम
मुकदमा नम्बर **61 सन् 2020 राजस्व वाद**
यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X............................... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके तहनाल पटवार हल्का तहनाल की आराजी नम्बर 1521 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 1522 रकबा 0.19 है0 का पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 से कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 30 माह 11 सन् 2022** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनिता यादेव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)